राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

झारखण्ड सरकार

UNDP India

# "जैवविविधता कानून 2002 के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढाँचा का सुदृढ़ीकरण"

## झारखण्ड जैवविविधता बोर्ड


राज्य कार्यक्रम इकाई (UNDP-GOI Biodiversity Project)

वन भवन, डोरण्डा, राँची–834002

फोन/फैक्स: 0651–2480655; ई–मेल: ccf_wildlifejhk@hotmail.com, Saibal.dey@undp.org

राज्य कार्यक्रम इकाई (SPU), वन भवन, डोरण्डा, राँची–2
फोन/फैक्सः 0651–2480655, ई–मेलः ccf_wildlifejhk@hotmail.com

# जैवविविधता

## जैवविविधता को कैसे समझा जाये?

जैवविविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। "जैव" यानी जीवन, "विविधता" यानी, भिन्नता। जैवविविधता का अर्थ है, पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवन के विभिन्न रूप अर्थात् समस्त वनस्पतियाँ, जीव जन्तु, सूक्ष्म जीव और सभी प्रकार की अनुवांशिक सामग्री जैसे बीज, बीजाणु, कंद इत्यादि।

जैवविविधता कुदरत की जैविक सम्पदा और समृद्धि का सम्पूर्ण स्वरूप है जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यहां तक कि आंखों से न दिखने वाले जीवाणु तथा बैक्टीरिया तक सभी तरह के जीव पेड़ पौधे, लताऐं, घास–पात और वनस्पति जगत का सभी कुछ सम्मिलित है। जीव जगत के इन अलग–अलग तरह की वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कई तरह के इनके रहवासों और फिर एक दूसरे से उनके संबंध से ही जैवविविधता को समझा जा सकता है और हां इन लाखों तरह के जीवों में प्रत्येक जीव प्रजाति के भीतर व्याप्त विविधता (अनुवांशिक विविधता जैसे धान की सैकड़ों किस्में) जीवन की निरंतरता के लिए आधार बनाती है।

## विश्व के सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान

विश्व में सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले 16 देश है। इनमें भारत 11वें स्थान पर है। भारत में जैवविविधता की सम्पन्नता का मुख्य कारण देश में इलाकों या इको सिस्टम की विविधता है। एक ओर हिमालय पर्वत में बर्फ से ढंके क्षेत्र (एल्पाइन क्षेत्र) है तो दूसरी ओर थार का रेगिस्तान और पूर्वोत्तर भारत के सदा हरित वन या फिर मध्य भारत के पठार जैसे इलाके एवं उसी के अनुरूप वहां पाये जाने वले जीव। हमारे देश में जैवविविधिता के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है:

1. पूरे विश्व का 50% बाघ भारत में पाये जाते है।
2. पूरे एशिया में पाये जानेवाले हाथियों की कुल जनसंख्या का 50% भारत में पाया जाता है।
3. एक सिंग वाले गेंडा की कुल आबादी का 70% भारत में पाया जाता है।

## जैवविविधता के तीन स्तर

**अनुवांशिक स्तर** – यह विविधता हमें एक प्रजाति विशेष के भीतर ही देखने को मिलता है। जैसे मानव की विभिन्न नस्लें, रंग–रूप, आकार, कद आदि।

**प्रजाति स्तर** – पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रजातियाँ।

**पारिस्थितिक तंत्र के स्तर** – पृथ्वी पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र (जलीय एवं स्थलीय)।

**जैव विविधता में कमी आने के मुख्य कारण**

1. पर्यावास की क्षति एवं उनका टुकड़े-टुकड़े में बँटा होना।
2. जानवरों का शिकार।
3. नियमित आग का प्रकोप।
4. बाहरी देशों के बीज/पौधों को लाकर लगाना।
5. अवैध पातन/अतिक्रमण।
6. मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या एवं उनकी जरूरतें।
7. ग्लोबल वार्मिंग।

## जैवविविधता अधिनियम एवं सहयोगी संस्थाओं की भूमिकायें

**जैवविविधता अधिनियम 2002 और झारखण्ड राज्य जैवविविधता नियम, 2007 किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं?**

इस कानून का मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, संवहनीय उपयोग सुनिश्चित करना है। वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोकने में यह कानून मदद करेगा। जैव संसाधनों एवं इससे जुड़े लोगों के परम्परागत ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों का बंटवारा, उन लोगों को भी मिले जिनकी धरोहर से ऐसा लाभ मिला, यह सुनिश्चित करने के प्रावधान अधिनियम/नियमों में रखे गये हैं।

**जैवविविधता अधिनिमय/झारखण्ड जैवविविधता नियमों के अन्तर्गत किस प्रकार की संस्थाओं/ संगठनों का प्रावधान किया गया है?**

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण है, जो विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं या कम्पनियों की जैव संसाधन तक पहुंच या संग्रहण संबंधी आवेदन और अन्य मामले देखेगा। किसी भी शोध के परिणामों की जानकारी विदेशियों को देने संबंधी मामले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

राज्य स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के मामले राज्य जैवविविधता बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के उपयोग की अग्रिम सूचना बोर्ड को देना जरूरी है। जैवविविधता संरक्षण के उद्देश्यों के खिलाफ जाने वाली किसी भी गतिविधि पर बोर्ड रोक लगा सकता है।

स्थानीय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है जो स्थानीय

स्तर पर जैवविविधता का संरक्षण, सदुपयोग, दस्तावेजीकरण आदि का कार्य करेगी। जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कृत्य जैवविविधता रजिस्टर तैयार करना है।

**जैवविविधता अधिनियम से जुड़ी कुछ परिभाषायें:**

- ☐ **जैविक विविधता:** सभी (वनस्पति, प्राणी तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव) जीवों में व्याप्त भिन्नता तथा उन रहवासों की भिन्नता, जहां ये जीव बसते हैं। किसी एक जीव के भीतर पाई जाने वाली अनुवांशिक भिन्नता भी इसमें शामिल है।
- ☐ **जैविक संसाधन:** वनस्पति, जानवर एवं सूक्ष्मजीव या उनका कोई भाग या अंग, उनसे प्राप्त जीन (अुनवांशिक इकाई) और इसके उत्पाद (मूल्य वर्द्धित उत्पादों को छोड़कर) जिनका वर्तमान में उपयोग एवं मूल्य हो या उनके उपयोग एवं मूल्य की संभावना हो। मनुष्यों के जीन इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
- ☐ **जैविक सर्वे एवं जैव उपयोग:** जीव प्रजातियों, किस्मों अथवा नस्लों, जीन, जैविक संसाधन के किसी घटक का सर्वे या संग्रहण। यह सर्वे या संग्रहण भले ही किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया गया हो। (इसमें सम्मिलित हैं, सूचीबद्ध करना और जीवों पर किये गये वायोएसै अथवा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण)
- ☐ **वाणिज्यिक उपयोग:** वाणिज्यिक उपयोग का मतलब जैव संसाधनों का अंतिम रूप में वाणिज्यिक उपयोग से है। इसमें सम्मिलित हैं- ड्रग्स, औद्योगिक इन्जाइम्स, खाद्यान्न में खुशबु, सुगन्ध, सौन्दर्य प्रसाधन, इमल्सीफायर, ओलियोरेजिन्स, रंग, एक्स्ट्रेक्ट और फसल तथा मवेशियों की नस्ल सुधार में जीन का उपयोग। परंपरागत रूप से पशु नस्ल सुधार, परंपरागत तरीकों से फसल, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन में किये गये सुधार इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

**राज्य जैवविविधता बोर्ड:**

झारखण्ड राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या- वन्यप्राणी-03/05(खण्ड)-6550 दिनांक 20.12.2007 के तहत् की गई। 10 सदस्यीय बोर्ड में जैवविविधता से सम्बद्ध 5 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य हैं। बोर्ड की भूमिका जैवविविधता संरक्षण, जैविक सम्पदा के संवहनीय उपयोग एवं जैविक स्रोतों से उपलब्ध लाभों के न्यायपूर्ण और बराबरी की साझेदारी के लिए सभी सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाने में है। बोर्ड की भूमिका निम्नानुसार है:

- ☐ जैविक स्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ☐ जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना।

- ☐ जैवविविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना।
- ☐ जैवविविधता संबंधी समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्कूलों/कॉलेजों एवं अन्य इकाईयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता व क्षमता वृद्धि में सहयोग करना।
- ☐ विभिन्न एजेन्सियों की नीतियों और योजनाओं में जैवविविधता के प्रति सरोकार तथा जैवविविधता पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।
- ☐ जैव संसाधन आधारित आजीविका के उपक्रमों को बढ़ावा देना।
- ☐ जैवविविधता मसलों पर शासन को सलाह देना।
- ☐ जैवविविधता संरक्षण के अन्त:स्थलीय (इन-सिटू) एवं बाह्य स्थलीय (एक्स-सिटू) प्रयासों को मजबूत करने एवं जैवविविधता बहुत विरासत स्थलों की स्थापना में मदद करना।

**अन्त:स्थलीय (इन-सीटू) और बाह्य स्थलीय (एक्स-सीटू) प्रयास क्या हैं?**

जो जैविक सम्पदा कुदरत में जहां होती है वहीं उसके संरक्षण और सही ढंग से उपयोग करने को इन-सीटू या अन्त:स्थलीय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि जंगलों में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सफेद मूसली अथवा सतावरी के संरक्षण और सही ढंग से उपयोग की यदि व्यवस्था कायम करते हैं तो इसे अन्त: स्थलीय प्रयास कहेंगे। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर धान की कई परंपरागत किस्में जैसे लखनसाइल, मधुमालती, कोहरासाइल, सीतासाईल, गरीबसाईल जैसी कई किस्मों को किसान यदि अपने खेतों में उगाते हों तो यह अन्त: स्थलीय संरक्षण के प्रयास की श्रेणी में आयेगा। इसके विपरीत यदि सतावरी और काली मूसली की खेती जंगल के बाहर की जाये तो यह बाह्य स्थलीय संरक्षण की श्रेणी में आयेगा। चिड़ियाघर जहां कई प्रकार के प्राणियों को रखकर उनके खान पान और परिवार की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, यह बाह्य स्थलीय संरक्षण कहलायेगा। इसी प्रकार कृषि फसलों की किस्मों को जीन बैंक के माध्यम से जब वैज्ञानिक संरक्षित करते हैं तो वह बाह्य स्थलीय प्रयास कहलाता है।

**"जन जैवविविधता पंजी" (Peoples' Bio-diversity Register - PBR) क्या है? कैसे तैयार करना है इसे?**

- ☐ जैवविविधता प्रबंधन समितियों का एक मुख्य कार्य जैव संसाधनों की जानकारी का दस्तावेज तैयार करना है।
- ☐ समितियां पहले तो अपने कार्यक्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों तथा आमंत्रित सदस्यों से मोटी-मोटी जानकारी लें।

- ☐ इस विषय से संबंधित साहित्य इक्ट्ठा करें उसे देखे, समझें।
- ☐ अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति को एक पंजी में दर्ज करायें। इसे जन जैवविविधता पंजी कहते हैं।
- ☐ यह पंजी बनाना एक बड़ा काम है जिसे वे अपने क्षेत्र के पढ़े-लिखे नौजवानों, स्कूल, कॉलेज के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्था के सदस्यों, वन समितियों, शिक्षक आदि लोगों से सम्पन्न करायें।
- ☐ जिन्हें भी यह पंजी बनाने का काम सौंपे उन सबको मिलकर पहले इस काम को समझ लेना चाहिए।
- ☐ मार्गदर्शन के लिए विषय के जानकारों से विशेष मदद लें। जिले में एक जैवविविधता तकनीकी सहयोग समूह होगा, उससे लें।
- ☐ जैवविविधता पंजी में जहां एक ओर स्थानीय जानकार लोगों द्वारा दी गई जानकारी होगी वहीं दूसरी ओर इस जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण भी होगा। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने के लिए जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के विशेष प्रशिक्षण भी बोर्ड द्वारा आयोजित कराए गए हैं।
- ☐ इन पंजियों के आधार पर पंचायत, प्रखण्ड, जिला और राज्य स्तरीय जैवविविधता सूचना तंत्र को बनाने में मदद मिलेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से जैव संसाधन संबंधी अपने काम की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि पंजी (दस्तावेज) तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर जानकारियां जुड़ती रहेंगी।
- ☐ यह पंजी (दस्तावेज) बन जाने से एक रिकार्ड समितियों के पास रहेगा जिसका उपयोग निम्न कामों में किया जायेगा:
  - (क) चिन्हित जैव संसाधनों के संरक्षण और उसके सही तरीके से उपयोग पर आधारित स्थानीय निकायों की योजना बनाने में।
  - (ख) जैव संसाधन आधारित आजीविका के साधन तलाशने में।
  - (ग) जैविक सम्पदा के संग्राहकों को संगठित कर सही तरीके से संग्रहण (ताकि समूह नष्ट न हों), उसके प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था विकसित करने में।
  - (घ) यदि संभव हो तो प्रसंस्करण इकाई लगाने में।
  - (ड़) जैविक सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क तय करने में।
  - (च) जैवविविधता पंजी अपनी जैविक सम्पदा और उससे संबंधित स्थनीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करने में सहायक हो सकती है। (जैसा कि कानी आदिवासियों के मामले में हो सका ।
  - (छ) देशज ज्ञान (Traditional Knowledge) को सम्मान दिलाने एवं पुनर्जीवित करने में।

**क्या कुछ होगा जैवविविधता पंजी में?**

- ☐ उन समूहों की जानकारी होगी जिनकी आजीविका जैव संसाधनों पर आधारित है, साथ ही उन जैव संसाधनों का विवरण होगा जो इन समूहों की आजीविका को मजबूती देते है।
- ☐ खेतों, वनों, चारागाहों, जलाशयों आदि का विवरण होगा और उनमें पाये जाने वाले जीवों (पौधे/जानवर दोनों सम्मिलित) की विविधता का विवरण होगा।
- ☐ स्थानीय समूहों द्वारा तय किये गये विशिष्ट जैवविविधता क्षेत्रों एवं विशेष से उपयोगी प्रजातियों/किस्मों/नस्लों का विस्तृत विवरण होगा।
- ☐ जैवविविधता के संरक्षण और सही उपयोग से जुड़े प्रबंध के मुद्दों की जानकारी होगी, जो कि स्थानीय योजना बनाने में विशेष रूप से सहायक होगी।
- ☐ ऐसे जानकारों की विषयवार सूची होगी, जिनकी जानकारी के आधार पर पंजी बनाई गई है।
- ☐ स्थानीय जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने वाले जानकारों को भी इस पंजी में सूचीबद्ध किया जायेगा।

**वाणिज्यिक उपयोग के लिए यदि जैविक सम्पदा की जरूरत है तो उसके लिए क्या तरीका होगा?**

अधिनियम की धारा 24 में जैविक सम्पदा को प्राप्त करने तथा उनके संग्रहण करने की प्रक्रिया दी गई है।

- ☐ जो भी व्यक्ति वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को देगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उसे एक निश्चित रकम चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा शुल्क जमा करना होगा।
- ☐ बोर्ड आवेदन की जांच पड़ताल करने और स्थानीय निकायों से सलाह करके तथा जरूरत के अनुसार जानकारी इकट्ठी करने के बाद तीन माह के भीतर फैसला करेगा।
- ☐ आवेदन को जांच परख कर यदि उसका जैवविविधता पर गलत असर होने की संभावना दिखती है तो स्थानीय समुदाय को न्यायपूर्ण ढ़ंग से उनका हिस्सा मिलने में कोई अड़चन या कठिनाई है तो बोर्ड ऐसे उपयोग को रोक सकता है अथवा
- ☐ जैविक संपत्ति को प्राप्त करने वाले या इकट्ठा करने वालों पर बोर्ड ऐसी शर्तें लगा सकता है जिससे जैविक सम्पदा का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- ☐ यदि निषेध संबंधी आदेश को पारित किया जाना है तो बोर्ड संबंधित पक्ष

को कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के उपरान्त ही ऐसा निषेध आदेश पारित करेगा।

- ☐ जैवविविधता के संरक्षण के लिए जैविक सम्पदा की किसी सूचना को गोपनीय भी रख सकता है जिससे कोई उसका दुरूपयोग न कर सके।

**किन परिस्थितियों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन के संग्रहण/पहुंच को निषेध किया जा सकता है?**

- ☐ निकाली जा रही प्रजाति यदि संकटग्रस्त (खत्म होने की कगार पर) हो या निकाले जाने के बाद संकट ग्रस्त होने की संभावना हो।
- ☐ कोई दुर्लभ (बहुत मुश्किल से या बहुत कम मिलती हो) प्रजाति या प्रजाति की निकासी से उसके बहुत कम हो होने की संभावना हो।
- ☐ जैविक सम्पदा निकाले जाने से यदि स्थानीय लोगों के जीवन, संस्कृति या रोजगार पर गलत असर पड़ता हो तो उसकी निकासी पर रोक लगाई जा सकती है।
- ☐ निकाली जाने वाली सम्पदा से स्थानीय पर्यावरण पर गलत असर पड़ता हो या इसकी संभावना हो तो बोर्ड उस जैविक सम्पदा की निकासी पर रोक लगा सकेगा।

**गांव के वैद्य या हकीम जड़ी बूटियों का उपयोग दवाई बनाने में करते हैं तो क्या उन्हें भी अनुमति लेने की जरूरत है?**

गांव के वैद्य, हकीम इत्यादि जो परम्परागत चिकित्सा पद्धति में जैव संसाधनों का उपयोग करते है, उन्हें किसी प्रकार की पूर्व सूचना या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार स्थानीय समुदायों की जरूरतों तथा जैव संसाधनों की खेती करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है।

**जैवविविधता के संरक्षण में विरासत स्थल (हैरिटेज साईट) की क्या भूमिका है?**

सम्पन्न जैवविविधता वाले ऐसे स्थलों को जहां अनेकों प्रजातियों/किस्मों की प्रचुरता अपने प्राकृतिक स्वरूप में पाई जाती है, जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किये जा सकते है जिससे जैवविविधता के संरक्षण को मदद मिले। ऐसे क्षेत्र जिनमें कृषि फसलों की जंगली किस्मों की (वाइल्ड रिलेटिव) प्रचुरता हो, उन्हें भी विरासत स्थल के रूप में घोषित कराया जा सकता है। ऐसे स्थल पहले से घोषित संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य (प्रोटेक्टेड एरिया) के बाहर होंगे। राज्य सरकार स्थानीय निकायों से सलाह करके विरासत स्थल घोषित करेगी। इन विरासत स्थलों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से स्थापित किये गये विरासत स्थल, पर्यटन, शिक्षा और जनजागृति के स्थल के रूप में भूमिका निभा सकते हैं।


**विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें:**

राज्य कार्यक्रम इकाई (UNDP-GOI Biodiversity Project)

**वन भवन, डोरण्डा, राँची-2**

फोन/फैक्स: 0651-2480655; ई-मेल: ccf_wildlifejhk@hotmail.com, Saibal.dey@undp.org



Ptd. by Purnima Printers Pvt. Ltd. 9835923606, 0651-2208037